

#### 4) यान

यान का अभिप्राय विजिगीषु राजा द्वारा शत्रु राज्य पर आक्रमण से है। जब राजा शत्रु की अपेक्षा विद्वित रूप से अधिक शक्तिशाली होता है, तभी वह इस नीति का अनुसरण करता है। कौटिल्य के अनुसार यदि विजयमिलामी राजा यह सोचता है कि शत्रु के दुर्ग, जन्पद आदि का विनाश केवल आक्रमण करने से ही संभव हो सकता है एवं उसका अपना दुर्ग पूर्णतः सुरक्षित रह सकता है, तो वह यान की नीति अपना सकता है।

सामान्यतः विग्रह और यान की नीति साथ-साथ चलती है। कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि यान और आसन से समान लाभ की आशा हो, तो आसन नीति को ही अपनाना चाहिए।

#### 5) संश्रय -

संश्रय का अर्थ है शरण लेना। अगल राजा को यह प्रतीत हो कि न तो वह शत्रु की हानि पहुंचा सकता है और न ही शत्रु के आक्रमण से अपनी प्रतिष्ठा ही कर सकता है,

तो उसे ऐसी परिस्थिति में शत्रु से अधिक बलवान  
मित्र राज्य का संरक्षण प्राप्त करना चाहिए। यदि  
उसे बलवान आश्रयदाता न मिले या दुर्ग में दिक्कत  
भी वह अपने को सुरक्षित न समझे, तो उसे शत्रु  
का ही आश्रय ले लेना चाहिए।

### ⑥ द्वैधीभाव -

द्वैधीभाव का अर्थ है एक राजा से संधि  
एवं दूसरे से विग्रह करना। यदि राजा यह देखता  
है कि एक राज्य के साथ संधि कर वह अपना  
काम निकाल सकता है एवं दूसरे से विग्रह कर  
उसे नष्ट कर सकता है, तो वह द्वैधीभाव नीति  
का अनुसरण करता है। इस नीति का उद्देश्य  
एक राज्य से सेना की सहायता लेकर शत्रु  
राज्य को परास्त करना है।

कौटिल्य का मानना है कि यदि संश्रय  
और द्वैधीभाव दोनों में समान लाभ की आशा  
है तो द्वैधीभाव का अनुसरण राजा को करना  
चाहिए।

इस प्रकार, कौटिल्य के षड्गुण सिद्धान्त के  
निवेदन से यह स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य  
एक शत्रु राज्य को कमजोर कर अपनी शक्ति में  
वृद्धि करना है।

Dr. Shama Arora  
Asst. Professor